भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1950

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

सीएलएएमपी पोर्टल का कार्यान्वयन

1950. श्री अमर शरदराव काले:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला भूमि अधिग्रहण, प्रबंधन और भुगतान पोर्टल (सीएलएएमपी) के शुभारंभ के बाद से इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस पोर्टल पर भूमि अधिग्रहण के कितने मामले और कितने राज्य शामिल किए गए हैं;

(ग) भूमि अधिग्रहण के प्रमुख चरणों में समय-सीमा को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने में 'क्लैम्प' (सीएलएएमपी) ने किस हद तक योगदान दिया है;

(घ) क्या पोर्टल पर प्रभावित भूमि मालिकों और परियोजना प्रभावित परिवारों की शिकायतों के निवारण के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितनी का निपटान किया गया है; और

(च) भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं की वास्तविक समय में निगरानी के लिए 'क्लैम्प' (सीएलएएमपी) को राज्य के भूमि अभिलेखों और अन्य प्रासंगिक डिजिटल प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : कोयला भूमि अधिग्रहण और प्रबंधन पोर्टल (सीएलएएमपी) दिनांक 29.10.2025 को लॉन्च किया गया था। पोर्टल की परिकल्पना सरकारी कंपनियों और कोयला मंत्रालय के लिए कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (संक्षेप में, "सीबीए अधिनियम")

के तहत भूमि के अधिग्रहण के प्रस्तावों की जांच और अनुमोदन करने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्रक्रिया प्रबंधन उपकरण के रूप में की गई है।

(ख) और (ग) : आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भूमि के अधिग्रहण और राज्यों के भूमि अधिग्रहण मामलों पर क्लैम्प पोर्टल पर कार्रवाई नहीं की जाती है।

(घ) और (ङ) : क्लैंप (सीएलएएमपी) सीबीए अधिनियम के तहत अधिग्रहित की जा रही भूमि के संबंध में भूमि रिकॉर्ड के लिए डिजिटल रूप में एक केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करता है और आवेदन जमा करने, भूमि विवरण अपलोड करने, आवेदन की प्रक्रिया और अनुमोदन, सीबीए अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जारी अधिसूचनाओं, भूमि मालिकों को मुआवजे के भुगतान की निगरानी और ट्रैकिंग से लेकर नागरिक-केंद्रित शासन और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) की निगरानी में योगदान देता है।

प्रभावित व्यक्ति अपलोड की गई सूचना को सत्यापित कर सकते हैं, अपने दावों की स्थिति की जांच कर सकते हैं या पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। क्लैंप के शुभारंभ के बाद से, सरकार द्वारा सीबीए अधिनियम की धारा 8 के तहत इच्छुक व्यक्तियों से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

(च): क्लैंप को राज्य भूमि रिकॉर्ड प्रणालियों या अन्य बाहरी डिजिटल प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव नहीं है।

*****